International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(I), October - December, 2024, pp. 66-74

गांधी व अम्बेडकर के सामाजिक दर्शन का अध्ययन

डॉ. परमानन्द शर्मा*

प्रस्तावना

गांधी व अम्बेडकर के मध्य, वैचारिक एवं व्यावहारिक असमानता एवं समानता के दानों पक्ष दृष्टिगोचर होते है। व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक क्षेत्र में असमानता के कारणों में बाल्यकाल में मिले परिवेश की अहम् भूमिका रही है। गांधी का जन्म एवं बाल्यकाल संवदेनशील सदाशयी प्रवृतिपरक समपन्न परिवार में हुआ था। उनकी माता की धार्मिकता एवं ईश्वर भक्ति ने उनके बाल हृदय को इतना प्रभावित किया कि वे आजीवन धार्मिक व्यक्ति बने रहे। टालस्टॉय, रस्किन, हरिश्चन्द्र नाटक से प्रभावित गांधी, सत्य, अहिंसा, धर्म, ईश्वर के उपासक बन गये। सत्य की खोज उनके संपूर्ण जीवन का ध्येय बन गया ।

अम्बेडकर का जन्म दलित वर्ग में हुआ जिसके कारण उनको सामाजिक भेदभाव, अपमान वतिरस्कार की जो पीड़ा झेलनी पड़ी, वैसी पीड़ा किसी अन्य को नहीं हुई थी। इस कारण सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष, विशेष रूप से दलितों के उद्धार के लिये संघर्ष को डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन का उद्देश्य घोषित किया। अम्बेडकर के विचार सामाजिक न्याय के प्रति इतने सशक्त हो गये थे कि वे इन्हें किसी भी कीमत पर किसी प्रकार का समझौता करने को तैयार नही थे। इन्होंने आजीवन दलितों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक न्याय दिलाने के पक्ष में संघर्ष किया।

गांधी और अम्बेडकर दोनों का राजनीतिक, सामाजिक व पारिवारिक परिवेश भिन्न था। इसलिए दोनों के चिंतन में तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए सुझाव व शैली में अन्तर है। दोनों की तुलना निम्नलिखित बिन्दुओ के माध्यम से की जा सकती हैं–

भारतीय परम्पराओं व संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण में भी दोनों में मत भिन्नता थी। अम्बेडकर इहलोकवादी पश्चिमी संस्कृति में अगाध श्रद्धा रखते थे, जिसमें मृत्यु के पश्चात् जीवन से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नही माना जाता है। व्यक्ति का एक ही जीवन माना जाता है एवं इस बात पर बल दिया जाता है कि इस जगत् की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को ऐसा बनाया जाये कि आम व्यक्ति अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इसका उपयोग कर सकें। इन सबके विपरीत गांधी हिन्दू विश्वास परम्परा तथा संस्कृति में विश्वास रखते थे, जिसमें माना गया कि व्यक्ति इस जन्म में जैसा कर्म करेगा, इसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। अतः व्यक्ति को अपने वर्ण में रहते हुए निर्धारित कार्य एवं कर्म करने चाहिये। निम्न वर्ण के लोगों पर उच्च वर्ण के लोगों द्वारा किये अत्याचार इनके पुर्नजन्म के फल है। इस प्रकार गांधी कर्म एवं पुर्नजन्म के सिद्धान्तों में विश्वास करते थे।

अस्पृश्यता

गांधी अस्पृश्तया को हिन्दू समाज की बहुत बड़ी बुराई मानते थे। उनका कहना था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का कलंक है, जिसे मिटाना जरूरी है। यदि अस्पृश्यता रहती है तो अच्छा है कि हिन्दू धर्म नष्ट हो जाये, उन्होंने कहा कि मैं अछूत जन्मा तो नहीं, लेकिन मैं अपने को अछूत मानता हूँ और चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं अछूत पैदा होऊँ। वस्तुतः गांधी छूत और अछूत में भेद नहीं मानते थे ।

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, गोमती देवी महाविद्यालय, बड़ा गॉव, झुन्झुनू, राजस्थान।

दूसरी तरफ डॉ. अम्बेडकर समाज व्यवस्था में संशोधन नहीं वरन् मौलिक परिवर्तन चाहते थे। वे न केवल अस्पृश्यता का अन्त और जाति व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे वरन् वर्ण सहित संरचना के समस्त परम्परागत तत्वों को समाज से सदा सर्वथा के लिये मिटा देना चाहते थे। उनके अनुसार जाति और वर्ण भिन्न नहीं है। वर्ण से जाति उत्पन्न हुई जिसकी चरम विकृति अस्पृश्यता है ।

इन दोनों ने अस्पृश्यता को भारतीय समाज व्यवस्था का महारोग माना और उसे मिटाने के लिये संकल्पपूर्वक प्रयत्न किया।

गांधी अम्बेडकर दोनों ही अस्पृश्यता के सामाजिक अभिशाप को मिटाना चाहते थे, दोनों ही भारत के सर्वाधिक उत्पीड़ित और असहाय वर्ग को सदियों से चली आ रही जन्मजात छुआछूत की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे। परन्तु सामाजिक लक्ष्य समान होते हुए भी दोनों एक ही पथ के पथिक नहीं थे। लक्ष्यों की समानता के बावजूद उनमें अस्पृश्यता के मूल कारणों, उसके स्वरूप तथा उसको मिटाने के उपायों के बारे में गम्भीर असहमति थी। हिंसा–अहिंसा, मानवाधिकारों की व्याख्या, सत्याग्रह के स्वरूप, अस्पृश्यता निवारण में कानून की भूमिका, स्वराज की प्राप्ति और धर्मान्तरण जैसे मुद्दों पर महात्मा गांधी और अम्बेडकर में तीव्र मतभेद थे। दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि और प्राथमिकताएँ भी अलग–अलग थी।

वर्ण व्यवस्था

वर्ण व्यवस्था के विषय में अम्बेडकर व गांधी के दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है। गांधी वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन का स्वाभाविक नियम मानते थे। उनके अनुसार वर्णों के साथ उच्चता व निम्नता का विचार, वर्ण व्यवस्था में आ गई एक विकृति है। उनका मत था कि वर्णों के मध्य निम्नता व उच्चता के पीछे शास्त्रों की सम्मति नहीं है।

अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। वे वर्ण व्यवस्था को समाज में कार्य विभाजन की सहज योजना नहीं, अपितु ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्वार्थ–सिद्धि के लिये जानबूझ कर बनाई गई ऐसी व्यवस्था मानते थे, जिसमें समाज को उच्च व निम्न के रूप में विभाजित कर दिया है। गांधी के विपरीत विचार थे कि हिन्दू शास्त्रों, विशेषतः मनुस्मृति आदि ने शूद्र वर्ण के सदस्यों के प्रति घृणा व भेदभाव को प्रक्षय दिया हे। अम्बेडकर ने भारत की सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिये हिन्दूओं को वर्ण व्यवस्था व शास्त्रों के बोझ से मुक्त किया जाना आवश्यक माना। यद्यपि गांधी ने भी शास्त्रों की ऐसी मान्यताओं को नकारने का आहवान किया जो विवेक, समानता व न्याय के प्रतिकूल हो तथा ऊँच–नीच व अस्पृश्यता का समर्थन करते हों, किन्तु उन्होंने वर्णों के विचार का विरोध नहीं किया। गांधी ने वर्णो की समानता पर बल देते हुए, वर्ण व्यवस्था को ऊँच–नीच के विचार से मुक्त करके उसके शुद्ध रूप को प्रतिष्ठित किया जाना आवश्यक माना। इसके विपरीत अम्बेडकर की मान्यता थी कि ऊँच–नीच का विचार वर्ण व्यवस्था में अनिवार्य रूप से अर्न्तनिहित है। अतः वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन करके ही भारतीय समाज में समता व न्याय के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

जाति व्यवस्था

भारतीय समाज में जाति प्रथा, छुआछूत का आविर्भाव शनैःशनैः हुआ है। अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज भी वर्णों में विभाजित था, उनमें सामाजिक अभिसरण होता था। फिर इतिहास की किसी अवस्था में पुरोहित वर्ग ने अपने को समाज से अलग कर लिया और एक बन्द नीति अपना कर अपनी अलग से जाति बना ली। वैश्य और शूद्र वर्णों ने तब तक एक स्थिर रूप ही नहीं लिया। इन दोनों वर्णों में ही वर्तमान की विविध जातियों का जन्म हुआ ।

गांधी चातुर्वण्य प्रणाली, जाति प्रथा (उललेखनीय है कि गांधी जीवन के अन्तिम वर्षों में चातुर्वण्य प्रणाली एवं जाति प्रथा को समाप्त करने पर सहमत हो गये थे) को हिन्दू समाज के हित में मानते थे। गांधी के शब्दों में, जिस तरह गुरूत्वाकर्षण का नियम न्यूटन की खोज से पहले था उसी तरह वर्णाश्रम प्राकृतिक नियम हैं जो अपनी खोज से पूर्व था। इसमें हिन्दू धर्म सबसे उत्तम सुरक्षा का मार्ग है।

गांधीजी ने कहा था, **''मैं अस्पृश्यता को बरदाश्त नहीं कर सकता। हिन्दू समाज का यह कर्त्तव्य हैं कि वह अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कठोर तपस्या करें।''** उन्होंने यवरदा जेल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, अगर अस्पृश्यता सचमुच जड़ से नष्ट हो जायें तो हिन्दू समाज पर से भयंकर कलंक दूर हो जायेगा। उसका असर सारी दुनिया पर होगा। अस्पृश्यता के विरूद्ध मेरी यह लड़ाई सारे मानव समाज में फैले हुये मैल के विरूद्ध लड़ाई है। इस प्रकार गांधीजी ने हिन्दू जाति को अत्यधिक महत्व दिया ।

गांधी के विपरीत डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को जाति की धारणा में अन्तनिर्हित माना। उनके अनुसार 'चातुर्वण' ही आगे चलकर जाति व्यवस्था के रूप में विकसित हुआ और ये जातियाँ अपनी आत्मकेन्द्रीकरण की प्रवृति के कारण कई उपजातियों में विभाजित होती गयी।

अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था एक हानिकारक संस्था है जो व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों के स्वाभाविक व स्वतंत्र विकास को अवरूद्ध कर परातंत्र बनाती है तथा निर्धारित सामाजिक नियमों को स्वीकार करने को बाध्य करती है। उनके अनुसार 'हिन्दू धर्म विभिन्न जातियों का संगठन है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जाति अपने आप में एक बन्द समाज है।'

11 फरवरी, 1933 को हरिजन साप्ताहिक का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जिसके लिये अम्बेडकर से भी संदेश मांगा गया था। अम्बेडकर ने संदेश तो नहीं दिया, किन्तु संक्षेप में हिन्दू समाज व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुये लिखा था कि अछूत लोग जाति प्रथा की उपज है। जब तक जातियां हैं, तब तक अछूत भी रहेंगे। जाति प्रथा का नाश हुए बिना अछूतों की मुक्ति सम्भव नहीं है। जाति व्यवस्था के सन्दर्भ में गांधीजी के विचार अम्बेडकर से भिन्न थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति एक परम्परागत संस्था या रीति–रिवाज है, जिसके उद्‌गम को मैं नहीं जानता और न हीं अपनी आध्यात्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिये इसे जानना आवश्यक मानता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि यह आध्यात्मि तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिये हानिकारक है।

धर्म की धारणा

धर्म ही जीवन है और जीवन ही धर्म है जैसे जीवन क्या है, इस पर मानव का चिंतन निरंतर चलता आया है और भविष्य में भी अहर्निश चलता रहेगा ठीक वैसे ही धर्म के संबंध में सोचना कभी बंद नहीं होगा ।

गांधी और अम्बेडकर दोनों के धर्म के प्रति विचार अलग–अलग थे। अम्बेडकर धर्म परिवर्तन में विश्वास करते थे और गांधी हृदय परिवर्तन में।

डॉ. अम्बेडकर ने धर्म को जीवन का एक अपृथक अंग माना और धर्म को समाज के अस्तित्व के लिये अनिवार्य बतलाया। समाज और शिक्षा में धर्म की अहम् भूमिका होती है। धर्म सामान्य भलाई की और अग्रसित करता है। डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि सच्चा धर्म ही ऐसा कर सकता है।

धर्म से अम्बेडकर का आशय सदाचार से था जिसका तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य–मनुष्य के बीच में अच्छे सम्बन्ध से है। उन्हीं के शब्दों में धर्म सदाचार (कर्त्तव्य परायणता) है जिसका अर्थ होता है जीवन के सभी क्षेत्रों में मनुष्य–मनुष्य के बीच अच्छे सम्बन्धों का होना।

डॉ. अम्बेडकर हिन्दू धर्म में विश्वास नहीं करते थे। अम्बेडकर हिन्दू रूढ़िवादिता और पुराणपंथी परम्परा से दूर रहना चाहते थे। इसलिये उन्होंने हिन्दू धर्म को पूर्णतः त्याग कर बुद्ध धर्म को अपनाया। वे बौद्ध धर्म में अधिक विश्वास करते थे। उनके अनुसार बौद्ध धर्म वह है, जो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, अवतार तथा आवागमन, नरक–स्वर्ग, अदृश्य मोक्ष आदि की उलझनों से मुक्त सीधे व्यक्ति के मन की शुद्धता, शीलाचरण और संयत ज्ञान पर बल देता है । अम्बेडकर ने गांधी से भिन्न धर्मान्तरण की स्वतंत्रता पर जो दिया, जिससे व्यक्ति को अपनी मन बुद्धि से जो धर्म अच्छा लगे वह अपना सकें ।

बुद्ध के धर्म में स्वतंत्रता, समता और भातृत्व जैसे आदर्श है, जो मानव की सुख–समृद्धि के लिये सक्षम है। इस प्रकार अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया। उन्होंने सन् 1935 में येवला में

दलितों की एक सभा मं घोषणा की कि, दुर्भाग्य से मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ यह मेरे वश की बात नहीं है किन्तु धर्म की अपमानजनक एवं शर्मनाक स्थिति में रहने से इन्कार करना मेरी शक्ति सीमा में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिन्दू के रूप में नहीं मरूंगा। अन्ततः मृत्यु के कुछ दिन पूर्व 14 अक्टूबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म का परित्याग किया ओर वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गये ।

दूसरी तरफ गांधी के लिये धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। यह दैनिक जीवन का आधार तत्व है जो सत्य की खोज में लगाये वहीं सच्चा धर्म है। सत्य ही ईश्वर है। इस प्रकार धर्म ईश्वर के पास पहुँचने का साधन हे। उनके अनुसार धर्म समाज सेवा की प्रेरणा देता है और समाज सेवा से ही आत्म साक्षात्कार या ईश्वर की प्राप्ति सम्भव है। वह मानव अतः मेरे लिये धर्म एवं नैतिकता पर्यायवाची शब्द है। सच्चा धर्म एवं सच्ची नैतिकता एक दूसरे से अविच्छेद से आबद्ध है। धर्म का नैतिकता से वही सम्बन्ध है जो जन्म का भूमि में बोये हुए बीज से है

गांधीजी की दृष्टि में अच्छे नैतिक जीवन का निर्वाह ही धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिये वे अपने धर्म को नैतिकतावादी धर्म कहते है। जो कुछ नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित है। व्यक्ति का नैतिक अनुशासन ही सामाजिक पुर्ननिर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है और ये नैतिक सिद्धान्त ही अहिंसात्मक समाज व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करते है।

गांधीजी हिन्दू धर्म में अत्यधिक विश्वास करते है। गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें दुनिया के अन्य धर्मों की तुलना में हिन्दू धर्म में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर का भाव तथा मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ और इसी कारण उनकी हिन्दू धर्म में आस्था दृढ़ बनी रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिदू धर्म की यह उदार प्रवृत्ति उन्हें प्रेरित करती थी कि वे दुनिया के सभी धर्मों के अच्छे सिद्धान्तों को ग्रहण करने के लिये तत्पर रहे। उनका मत था कि दूसरे धर्मों के प्रति घृणा ओर असहिष्णुता हिन्दू से असंगत है। उन्होंने कहा "मेरा हिन्दू धर्म सर्वव्यापी है।"

उनका मत है कि यदि मनुष्य के ह्रदय में सच्चाई और पवित्रता है तो वह किसी भी धर्म में निष्ठा रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसी कारण उन्होंने किसी भी उपाय द्वारा धर्म–परिवर्तन के विचार का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है। इस सम्बन्ध में उनका कथन है कि धर्म परिवर्तन के प्रयास द्वारा विश्व में अशांति ही उत्पन्न होगी। धर्म पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। गांधीजी ने कहा कि मेरा अपना विचार यह है कि सभी महान् धर्म मूलतः समान है। हमें दूसरे धर्मों का उसी प्रकार आदर करना चाहिये जिस प्रकार हम अपने धर्म का सम्मान करते है

इस प्रकार गांधी ने ह्रदय–परिवर्तन की बात पर जोर दिया व अम्बेडकर ने धर्म–परिवर्तन को अत्यधिक महत्व दिया।

अहिंसा की धारणा

गांधीजी के अनुसार अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। अहिंसा का आदर्श भारतीय उपनिषदों और बुद्ध तथा महावीर के दर्शन में शताब्दियों पहले प्रतिपादन किया गया था।

स्थूल और परम्परा के अर्थ में अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है जिसका अर्थ है 'हिंसा न करना' अथवा 'हिंसा का अभाव' किन्तु गांधीजी अहिंसा के नकारात्मक अर्थ को अपूर्ण मानते है। उन्होंने अहिंसा के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया। गांधीजी ने अहिंसा का मर्म किसी को क्षति न पहुँचाने की स्थूल व भौतिक क्रिया की अपेक्षा इस क्रिया के पीछे विद्यमान मन्तव्य में निहित है।

अहिंसा उस व्यक्ति के प्रति संवेदना सेवा के भाव में निहित है जिसे घृणा करने के लिये उपस्थित हो। गांधीजी के अनुसार सच्ची अहिंसा वह है जो निःस्वार्थ और निरपेक्ष हो। अहिंसा विचार की जड़ सिद्धान्त नहीं है, अपितु एक गत्यात्मक और नैतिक आस्था है। उनके अनुसार अहिंसा मानव के गरिमामय अस्तित्व का शाश्वत नियम है किन्तु उनकी असीम शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है, जबकि उसे अपनाने वाले व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आचरण अहिंसा के प्रति आस्था से पूरी तरह ओतप्रोत हो।

''अहिंसा सर्वोच्च सद्गुण है, कायरता निकृष्टतम दुर्गण। अहिंसा में कष्ट सहने की तत्परता है। कायरता में कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति। पूर्ण अहिंसा सर्वोच्च शौर्य है। अहिंसक कृत्य कथित नैतिक विषाद उत्पन्न नहीं कर सकता। जबकि कार्यत कायरता पूर्वक कृत्य सदैव नैतिक पतन का कारण होगा।'' अहिंसा तथा सत्य को गांधीजी ने एक सिक्के के दो पहलू माना है। अहिंसा साधन है सत्य साध्य है।

डॉ. अम्बेडकर युद्ध के विरूद्ध थे, लेकिन वे एकदम शांतिवादी और अहिंसावादी नहीं थे। वे मानते थे कि कर्म करने के लिये विकास तथा प्रगति होती है और अकर्मण्यता मृत्यु का दूसरा नाम है। मानवीय शक्ति महान् है जिसे अच्छे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग में लाना चाहिये। विनाश, हिंसा तथा युद्ध में उनका प्रयोग अवाछंनीय है।" डॉ. अम्बेडकर भगवान बुद्ध के अनुयायी होकर अहिंसा के पुजारी बने, लेकिन उन्होंने हिंसा को भी कहीं–कही अनिवार्य माना।

यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हिसा है, तो गांधीजी का सत्याग्रह अहिंसा है। सच कहा जायें तो नियम अहिंसा का होना जहां कहीं भी वह सम्भव हो, लेकिन हिंसा वहां होगी जहां पर आवश्यक हो।

डॉ. अम्बेडकर का अहिंसा का सिद्धान्त जो उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं से ग्रहण किया शनियम और सिद्धान्तश के भेद पर आधारित था। वे अहिंसा का विषय नहीं मानते थे वे अहिंसा को सिद्धान्त के रूप में अथवा एक जीवन मार्ग स्वीकार करते थे। एक सिद्धान्त व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता देता है नियम नहीं देता है।

अम्बेडकर गांधी के अहिंसा के सिद्धान्त; तथा उनकी सत्याग्रह की शैली से प्रभावित थे। गांधी की भांति उनकी यह मान्यता थी कि हिंसा या दमनकारी बल पर आधारित परिवर्तन स्थायी और विश्वसनीय नहीं होते। अतः समाज की दशाओं में वास्तविक परिवर्तन अहिंसा के माध्यम से लाये जा सकते है। उनका अहिंसा का सिद्धान्त, सिद्धान्त का नियम के भेद पर आधारित है। उन्होंने अहिंसा को एक सिद्धान्त के रूप में ही स्वीकारा, न कि एक नियम के रूप में। अम्बेडकर व्यक्ति को अहिंसा का अन्धभक्त बनाने के विरूद्ध थे। वे हिंसा, अहिंसा का निर्णय व्यक्ति के विवेक शक्ति पर छोड़ने के पक्षधर थे।

इसके विपरित गांधी व्यक्ति के लिये आजीवन अहिंसा का पुजारी बने रहने को आवश्यक मानते थे । अहिंसा को गांधी ने जीवन्त एवं सशक्त मूल्य माना। गांधी जीवन हत्या को ही अहिंसा नहीं मानते थे, अपितु व्यक्ति के लिये मन, वचन एवं कर्म से अहिंसक रहना अतिआवश्यक समझते थे। उन्होंने अहिंसा को कायरता का विकल्प न मानकर निर्बल एवं सबल का स्वनिर्मित, सर्वोपरि मूल्य माना। वे अहिंसा के परित्याग को पराजय मानते हुये किसी भी स्थिति में व्यक्ति के हिंसक होने का विरोध करते थे, किन्तु अपवाद स्थिति में गांधी ने कायरता से हिंसा को अच्छा माना।

अतः अहिंसा के प्रति गांधी व अम्बेडकर के दृष्टिकोण के मध्य भिन्नता थी। अहिंसा अम्बेडकर के लिये नैतिक एवं विश्वसनीय नीति थी, जबकि गांधी के लिये वह आध्यात्मिक आस्था एवं जीवन का सर्वोच्च नियम था।

प्रजातंत्र

भारतीय राष्ट्रभाषा के प्रधान नेता के रूप में गांधीजी हमेशा संसदीय प्रजातंत्र और कल्याणकारी शासन की दुहाई देते रहे, तथापि वे खुद अराज्यवाद के पक्ष में थे। इसलिये वे स्वायत्त और स्वावलम्बी ग्राम संस्था और विकेन्द्रित समाज व्यवस्था का ही व्यक्तिगत रूप में समर्थन करते रहे। यूरोपिय अराज्यवादी तो आधुनिक औद्योगिक युग की सन्तान स्वरूप स्थापित निगम, कामगार संगठन, सहकारी उत्पादक ग्राहक संघ, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आधुनिक मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सार्वजनिक संस्था आदि के आधार पर ही अपने–अपने आदर्श अःराज्यवादी समाज व्यवस्था के सपने देख रहे थे। लेकिन गांधीजी ने आधुनिक संगठन के बजाय भातरीय ग्राम व्यवस्था समताधिष्ठित और प्रजासत्तक थी। आधुनिक युग में उसका ध्यान हुआ। उसकी खामियों को हटाकर उसमें यदि फिर से जान फूंक दी जाए तो वह नयी आदर्शवादी व्यवस्था की नींव बन सकती है। यह उनकी धारणा थी। गांधी के विचारों पर राष्ट्रवादी इतिहासकारों को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। लेकिन इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करने से इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं मिलता कि भारतीय ग्राम संस्थाएं स्वायत्त और समाधिष्ठित थी। गांधीजी के सपनों के आदर्श ग्राम राज्य की अपेक्षा ये भारतीय गांव

शुद्धता की दलदल में फंसे हुए है। अज्ञान, संकुचित मनोवृति और जातीय प्रवृति का भंडार है। (।ेपदा वि सवबंसपेउ, ं कमद वि पहदंतंदबम, दंततवू उपदकमकदमे ंदक बवउउनदंसपेउ) डॉ. अम्बेडकर द्वारा किया गया यह वर्णन देहाती परम्परागत जीवन–पद्धति पर यथार्थ रूप से लागू होता है।

गांधीजी के विपरीत डॉ. अम्बेडर निर्धनों और शोषितों के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर, प्रजातंत्र की ओर आकर्षित हुये। व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से, उन्होंने प्रजातंत्र को ही भारत की परिस्थितियों में आवश्यक माना। स्वतंत्रता संग्राम के समय उनका मुख्य उद्देश्य शोषितों के लिये न्याय एवं मानव अधिकार प्राप्त करना था। प्रजातंत्र का सीधा अर्थ है कोई दासता न हो, कोई जातिवाद या दमन न हो तथा अनावश्यक भेदभाव न हो। इसलिये उन्होंने ऐसी सरकार का समर्थन किया जो जनता की हो, जनता के लिये हो और जनता द्वारा बनाई गई हो। वे स्वतंत्र विचारों के प्रेमी थे तथा प्रत्येक को अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता चाहते थे। यही मार्ग जनतंत्र को सरलता से ले जा सकता है।

सामाजिक न्याय

गांधी और अम्बेडकर दोनों ने ही सामाजिक न्याय की व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की। गांधी एवं अम्बेडकर दानों ही मौलिक विचारक थे। दोनों ही कर्म में विश्वास रखते थे और दोनों के लक्ष्य एवं कार्यों में सामंजस्य था। सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर गांधी व अम्बेडकर में अनेक समानताएं होते हुए भी दोनों के विचारों, उपागम पद्धति और प्राथमिकताओं मे मौलिक अन्तर था। गांधी का नजरियां कमोवेश परम्परावादी था जबकि अम्बेडकर आधुनिकता के पक्षधर थे।

सामाजिक ढांचे में परिवर्तित और दलित समस्या का निराकरण संबंधी मुद्दों पर गांधी का दृष्टिकोण सुधारात्मक था। नई समाज व्यवस्था की रचना का गांधीवादी प्रारूप विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर सौहार्द्र एवं सामजस्य पर आधारित था। गांधीजी सर्वोदय के माध्यम से लोगों को समाजिक न्याय दिलाना चाहते थे। सामाजिक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण संकीर्ण तथा क्षेत्रीय नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था, वह विशद् तथा अन्तर्राष्ट्रीय था। सामाजिक न्याय में गांधीजी ने कई उद्देश्यों को अंग्राकित किया। सर्वोदय समाज की स्थापना, नारी एवं हरिजनों का उत्थान, अस्पष्टृयता का अन्त, वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दू समाज का पुनर्गठन इत्यादि।

डॉ. अम्बेडकर ने समाज के परम्परागत ढांचे में समाज की विभिन्न समस्याओं की मीमांसा की। उन्होंने सामान्यतः भारतीय जनता की तथा विशिष्टतः दलित वर्गों की सामाजिक समस्याओं की मीमांसा की, तथा उनके निराकरण के लिये निरन्तर संघर्ष किया। सामाजिक न्याय के संदर्भ में अम्बेडकर के अंग्राकित उद्देश्य थे। जातिवाद को समाप्त करना, आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाना, वर्णाश्रम व्यवस्था को समाप्त करना, अस्पृश्यता का अन्त, दलितोत्थान आदि ।

गांधी की दलितोद्धार की परिभाषा अम्बेडकर से भिन्न थी। उन्होंने समस्या के समाधान हेतु विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, लेखों व भाषणों के माध्यम से सुझाव प्रस्तुत किए। लेकिन अम्बेडकर ने इस समस्या के समाधान के लिए संवैधानिक व गैर संवैधानिक दोनों ही प्रयास किए तथा संविधान के अध्याय–3 में मौलिक अधिकारों में तथा अध्याय – 4 नीति निर्देशक तत्वों में समस्या निदान हेतु आवश्यक उपबन्धों का समावेश करवाया ।

दलितोत्थान

डॉ. भीमराव अम्बेडकर एक क्रान्तिकारी विद्रोही थे। जिन्होनें दलितों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिये संघर्ष किया। वर्तमान युग में न्यायपूर्ण समाज की संरचना के लिये किसी न किसी की प्रेरणा या सहानुभूति मिली थी। केवल डा. अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह कार्य अपनी स्वयं की सहानुभूति से किया था।

डॉ. अम्बेडकर सवर्णो के हृदय–परिवर्तन और सामाजिक सुधार के महात्मा गांधी के कार्यक्रमों पर विश्वास नहीं करते थे। गांधी ने परिवर्तन. के लिये हृदय रूपान्तरण को आवश्यक एंव संभव माना, जबकि अम्बेडकर ने गांधी की धारणा को पुरातनवादी एवं विज्ञान विरोधी बताते हुये इसे समाज तथा देश के विकास में बाधक बताया।

गांधी भारत का सांवैधानिक ढांचा पारम्परिक ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार कराने के पक्ष में थे, जिस आधार पर सर्वोदय एंव स्वराज का मार्ग प्रशस्त हो सके । अम्बेडकर गांधी की इस धारणा से असहमत थे। उनकी मान्यता थी कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से सवर्ण दलितों पर अत्याचार एंव उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करेंगे। इसी मान्यता के कारण अम्बेडकर ने संविधान प्रारूप में गांव के स्थान पर व्यक्ति को इकाई के रूप में स्वीकार किये जाने का समर्थन किया ।

ओद्यौगिकीरण और राष्ट्रीयकरण

डॉ. अम्बेडकर ने गांधीजी की तरह विकेन्द्रीकरण का समर्थन नही किया। आर्थिक सिद्धान्तों की दृष्टि से या समाजवादी अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से डॉ. अम्बेडकर और गांधीजी दोनों के विचारों में परस्पर विरोध ही था। डॉ. अम्बेडकर ओद्यौगिकीरण के समर्थक थे, लेकिन ओद्यौगिकरण को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने पहले ही राज्य– समाजवाद का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था।

डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि ओद्यौगिकरण से ही देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी की समस्या हल हो सकती है। उसी प्रकार से ओद्यौगिकरण का परिणाम वंश परम्परागत या जाति व्यवसाय समाप्त होगे ओर जैसी सामाजिक बुराईयाँ भी इसके कारण जाति व्यवस्था अछूतपन दुर्बल बन सकती है। गांधीजी के विकेन्द्रीकरण से न तो देश की गरीबी, बेकारी और भुखमरी दूर हो सकती थी । वरन् उसका परिणाम जाति संस्था के बरकार रहने में हो सकता है। जबकि गांधी स्वंय इस मत के समर्थक थे कि हर जाति को अपने वंश परम्परागत व्यवसाय ही करने चाहिये ।

गांधीजी पश्चिमी राष्ट्रों के अन्धानुकरण में भारत के औद्योगिकरण के विरूद्ध थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण ही विश्व में विधमान तनावों, संघर्षो और युद्धों की आंशकाओं का मुख्य कारण है।

उन्होंने औद्योगिक क्रान्ति और उसके फलस्वरूप उत्पन्न केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था का विरोध किया। औद्योगिक क्रान्ति ने समस्त विश्व को एक विशिष्ट युग में धकेल दिया हैं जिसके लक्षण औद्योगिकरण व मशीनीकरण हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ जाता है ।

गांधीजी ने पश्चिमी राष्ट्रों के अन्धानुकरण से सावधान करते हुऐ कहा कि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना या औद्योगिकरण उत्पादन के साधनों का कुछ, हाथों के केन्द्रीकरण को प्रोत्सहित करेगा, परिणाम गरीबी, बेरोजगारी व शोषण को और बढ़ावा मिलेगा।

डॉ. अम्बेडकर औद्योगिक पक्ष में थे और औद्योगिकरण का अर्थ होता है बड़े यन्त्र। उसी प्रकार राष्ट्रीकरण का अर्थ हैं उन पर किसी एक या कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व नही वरन् राज्य का स्वामित्व। जितने बड़े यन्त्र होगे और उतनी ही बड़ी मात्रा में मजदूरों व कामगारों की आवश्यकता होगी, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा। कृषि पर आधारित वंश–परम्परागत और जातीय, धार्मिक संस्कृति नष्ट होगी और नई संस्कृति पैदा, होगी जो न जाति पर आधारित होगी न धर्म पर आधारित होगी। समाज में एक नई क्रान्ति होगी । इसलिये डॉ. अम्बेडकर ने औद्योगिकरण और राष्ट्रीकरण की संकल्पना स्वीकार की। अतः डॉ. अम्बेडकर औद्योगिकरण के पक्ष में थे ओर गांधीजी औद्योगिकरण के विरोधी ।

विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था

डॉ. अम्बेडकर ने विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को महत्व नही दिया, वरन् मिश्रित अर्थव्यवस्था को उपयोगी माना। उन्होंने राज की समाजवाद की बात करते हुऐ कहा कि राज्य को समाजवादी विचार धारा के अनुकूल बनाने के लिए भारत का औद्योगिकरण आवश्यक है। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था समाजवाद नहीं ला सकता है।

गांधीजी ने विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था को महत्व दिया। उनका मत था कि इतिहास का अधिकतम भाग विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था में ही होता हैं, परन्तु वैज्ञानिक युग में विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का तेजी से केन्द्रीकरण किया जा रहा है। आज सारा ढाँचा केन्द्रीकरण पर आधारित है। सारा उत्पादन एक स्थान पर कम से कम मानवीय शक्ति के उपयोग से करने.. का प्रयास किया जा रहा है। अतः केन्द्रित अर्थव्यवस्था का विचार सामने रखा।

उन्होंने कहा कि, ष्हमारा ध्येय लोगों को सुखी बनाना और साथ ही साथ उनकी सम्पूर्ण बौद्धिक और नैतिक आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करना है। वह ध्येय विकेन्द्रीकरण से ही हो सकता है। केन्द्रीकरण की पद्धति का अहिंसक समाज रचना के साथ मेल नही बैठता है।

मशीनीकरण और श्रम कल्याण

गांधीवाद ने श्रमिकों की समानता का मूल कारण पूंजीवाद का विकास और मशीनीकरण माना हैं। मशीनों के कारण सम्पत्ति की व्यवस्था और नियत्रंण थोड़े से हाथों में सिमट कर रहा जाता हैं। गांधीजी ने कहा कि मशीन के विकास और औद्योगिकरण के कारण एक राष्ट्र के पास दूसरे राष्ट्र का शोषण करने की क्षमता आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य मशीन को नियंत्रित करता है, तक तक तो उसका प्रभाव उतना विनाशकार और अनैतिक नही होता, किन्तु यदि मशीनों पर मुनष्य की निर्भरता बढ़ती ही गई तो एक दिन मशीनें मनुष्य को नियंत्रित करेगी और यह अवस्था मानवीय सभ्यता के पतन का प्रतीक होगी।

गांधीजी एक सीमित अर्थ में मशीन की उपयोगिता को स्वीकार करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारी और जटिल मशीनों के विरूद्ध थे। उन्होंने कहा कि, मेरा विरोध मशीनों के प्रति नही है, अपितु मशीनों के प्रति उस पागलपन के लिए है, जो श्रम को बचाता है। डॉ. अम्बेडकर का मत है कि गांधीवाद थोथी और काल्पनिक मान्यताओं पर टिका है। मशीनी सभ्यता में कुछ दोष होने के कारण ही उसकी उपयोगिता तथा उसकी अच्छाईयों को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में दोष मशीनों का नहीं, मशीनों का उपयोग करने वाले समाज का है, जिसने मशीनों से उद्भूत लाभो को सार्वजनिक नहीं होने दिया और लाभ मुट्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में सिमट कर रह गये। अतः इसका उपाय मशीनों का विनाश न होकर समाज व्यवस्था के सुधार में निहित है।

सृष्टिकर्ता द्वारा सृष्टि की रचना करते समय मनुष्य को बुद्धियुक्त बनाने का उद्देश्य भी यही था कि मनुष्य को समाज में बुद्धि के प्रयोग का अधिकतम अवसर मिले। सामाजिक उन्नति के लिये बौद्धिक विकास आवश्यक हैं। सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति और उसके लिये बुद्धि का अधिक उपयोग करने का अवसर सामान्य जन को किस प्रकार उपलब्ध किया जाये। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक श्रम एवं समय के अतिरिक्त कुछ समय बचा रहे और मनुष्य अपना बौद्धिक विकास कर सके। अर्थात उसके काम के घण्टे कम करें, कार्य की प्रकृति के अनुसार विश्राम का समय उपलबध हो सके। इसका एकमात्र उपाय मशीनीकरण है। एक मशीन कई मनुष्यों के काम करने की क्षमता रखती है। अतः उसका उपयोग करने से मनुष्य का श्रम और समय बच सकता है। अतः अम्बेडकर ने मशीनीकरण पर अत्यधिक जोर दिया और गांधीजी ने मशीनीकरण का विरोध किया।

अम्बेडकर एवं गांधीजी के विचारों में परिवर्तनशील देश व्यक्ति को प्राथमिकता, व्यक्ति के लिए धर्म की अनिवार्यता, कर्मव्यता आदि बिन्दुओं पर समाज दृष्टिकोण व्यक्त किया है। इसी प्रकार अम्बेड़कर ने गांधी के समाज ही सभी पथों एवं परम्पराओं के प्रति सम्मान देना आवश्यक माना। अम्बेडकर ने उन सभी विश्वास परम्पराओं को आदर देने को कहा है जिनमें लोक–कल्याण की भावना निहित है। अम्बेडकर ने व्यक्ति की गरिमा, शांति, सत्य, न्याय सद्भावना, ईमानदारी समता, दलितोद्धार को महत्व देकर परोक्ष रूप में गांधी के एकादश महाव्रत को समर्थन दिया। गांधी एवं अम्बेडकर के विचारों में परिर्वतनशील के कारण कई बिन्दुओं पर प्रारम्भ की असमानता जीवन के अंतिम वर्षो में समानता में बदल गई। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं दलितों की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की देश में जो आवश्यकता व्यक्त की जा रही है उसमें अम्बेड़कर की आवाज प्रतिध्वनित है। अम्बेडकर का गांधी के साथ वैचारिक एवं व्यावहारिक मतभेद रहा, किन्तु जीवन के अन्तिम वर्षो में उन्होंने मानव कल्याण एवं शान्ति की बात करके गांधी के विचारों को महत्ता प्रदान की ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी (1968) द्वारा श्रीमान् नारायण, खण्ड–4, पृष्ठ 4–15.
2. डॉ. मधुकर श्याम चतुर्वेदी, प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, पृष्ठ 482.

3. आशा कौशिक, गांधी चिन्तन (तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य), पृष्ठ 150–161.
4. महादेव नाई की डायरी द्वारा मोदव देसाई, पृष्ठ 28.
5. हिन्दू धर्म द्वारा मोहनदास करमचन्द गांधी (भारतन कुमारप्प अनुदित 1958)
6. बी. आर. अम्बेडकर, टू बुद्ध एण्ड हिज धर्म, पृष्ठ 316.
7. डॉ. डी.आर. जाटव, गांधी, लोहिया और अम्बेडकर, पृष्ठ 176.
8. डॉ. रामगोपाल सिंह, सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, पृष्ठ 114.
9. यंग इंडिया, 14 नवम्बर 1926
10. ऐथिकल रिलिजन, पृष्ठ 51.
11. डॉ. महादेव प्रसाद, महात्मा गांधी का समाज दर्शन, पृष्ठ 5.
12. डॉ. मधुकर श्याम चतुर्वेदी, भारतीय राजनैतिक विचारक, पृष्ठ 343–345.
13. हिन्दू धर्म, पृष्ठं 260.
14. डॉ. मधुकर श्याम चतुर्वेदी, भारतीय राजनैतिक विचारक, पृष्ठ 309.
15. हरिजन, 19 दिसम्बर 1936.
16. यंग इंडिया, 31 अक्टूबर 1929.
17. डॉ. अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ 38.
18. डॉ. आशा कौशिक, गांधी चिन्तन (तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य) पृष्ठ 163.
19. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, खण्ड–7, पृष्ठ 39.
20. डॉ. डी.आर. जाटव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन, पृष्ठ 94.
21. डॉ. पूरण मल, दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, पृष्ठ 13.
22. डॉ. आशा कौशिक, गांधी चिन्तन (तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य), पृष्ठ 164.
23. पी. के. गोपालकृष्णन, भारत में अर्थशास्त्र सम्बन्धी विचारों का विकास, पृष्ठ 174.
24. डॉ. मधुकर श्याम चतुर्वेदी, भारतीय राजनैतिक विचारक, पृष्ठ 368.
25. डॉ. विमलकीर्ति, बौद्ध धर्म के विकास में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का योगदान, पृष्ठ 329–330.
26. हिन्दू, 21 दिसम्बर 1931.
27. डॉ. ज्ञानचन्द खिमेसरा, डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिन्तन, पृष्ठ 57.
28. यथोपरि, पृष्ठ 78

❖◆❖